न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – अंशुल आमेरिया (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 67/2022

उनवान

1. करणी सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम राजगढ, नसीराबाद
 —— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र लाला जाति रेगर निवासी राजगढ हाल निवासी ए.ए.89 चन्द्रवरदाई नगर अजमेर ,
2. भंवरलाल पुत्र लाला ,
3. मदनलाल पुत्र लाला जाति रेगर समस्त निवासी राजगढ,
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद 2. महावीर,

——— अप्रार्थीगण :– 1 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री महेश सुकरिया
4 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0 राज0 अधि0 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 21.8.23

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजगढ तहसील नसीराबाद के खसरा नम्बर 912 रकबा 0.16 व 913 रकबा 0.06 की आराजी आवेदनकर्ता की खातेदारी है। उक्त भूमि को प्रार्थी ने उपजाउ बनाया है तथा वर्षो से फसल काश्त कर रहा है। उक्त आराजी के समीप अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। दिनांक 9.11.21 को सीमाकंन के लिये तहसीलदार नसीराबाद के समक्ष आवेदन पेश किया जिसमें पत्थरगढी बाबत लिखा गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा भूमि पर दखलदांजी की जा रही है तथा सीमा का विवाद है। अप्रार्थीगण उक्त आराजी की मेड पर दखल करते हुये भूमि को हडपने पर आमादा है। प्रार्थी अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु दीवार बनाना चाहता है जिसके लिये आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी मुतनाजा की पत्थरगढी के आदेश पारित करावे।

अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 912 व 913 का वर्किंग व चौसाला जमाबंदी में रकबा कम है। प्रार्थी ने तथ्य छूपाते हुये पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी पे जिस नक्शा के आधार पर आवेदन किया है उस नक्शा दुरूसती के आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने सक्षम न्यायालय में अपील पेश की है जो विचाराधीन है। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की खरीदी हुयी है। प्रार्थी [illegible] वर्किंग व चौसाला नक्शे अनुसार मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। खसरा नम्बर 912 व 913 का र[illegible] नक्शे के अनुसार 0.21 है बनता है। 912 व 913 के रकबे को ज्यादा [illegible] पेश दावे में अप्रार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना 16.1[illegible] का आदेश पारित कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

दिया। जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय के यहा कर दी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश की।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की एकल खातेदारी की है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी का सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु सीमाज्ञान की कार्यवाही नही की गयी। जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण व उनके मध्य खेत की सीमा का विवाद है एवं अप्रार्थीगण उनकी सीमा पर विवाद करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में एक वाद आराजी मुतनाजा के नक्शा दुरूस्ती का पेश किया था जिसमें एकपक्षीय नक्शा दुरूस्ती के आदेश दिये गये तथ हाजा न्यायालय की अपील सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश गुणावगुण पर पारित किया था। पूर्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने के कारण उक्त आदेश में हाल राजस्व मानचित्र की दुरूस्ती के आदेश दिये गये थे। प्रार्थी हाल राजस्व मानचित्र के आधार पर पत्थरगढी कराना चाहता है। अपीलीय न्यायालय द्वारा हजा न्यायालय के आदेश के विरूद्व कोई स्थगन आदेश पारित होना पत्रावली में उपलब्ध नही है। अप्रार्थीगण द्वारा भी स्वयं की आराजी मुतनाजा के नक्शा दुरूस्ती का वाद हाजा न्यायालय में पेश किया है जो विचाराधीन है। अप्रार्थीगण का कथन है कि नक्शा दुरूस्ती आदेश की अपील विचाराधीन होने से पत्थरगढी की कार्यवाही नही की जा सकती है। इसके समर्थन में अप्रार्थीगण द्वारा हाजा न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 42/22 के आदेश दिनांक 21.12.22 पेश किया है। किन्तु उक्त प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण पत्थरगढी के आदेश पारित नही किये गये। प्रश्नगत प्रकरण में नक्शा दुरूस्ती के आदेश पारित किये जा चुके है। हाल राजस्व मानचित्र के अनुसार पत्थरगढी किये जाने से उभयपक्ष के हित पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। पत्थरगढर मात्र मौके पर की जानी है। प्रकरण में आदेश से राजस्व अभिलेख के इन्द्राज पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खेतो की सीमा की स्थिति स्पष्ट हो जायेगी एवं विवाद समाप्त होगा।

अतः ग्राम राजगढ तहसील नसीराबाद के खसरा नम्बर 912 रकबा 0.16 व 913 रकबा 0.06 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आवेदनकर्ता व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में उक्त आराजी की पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:33 IST
Reason: SelfAttested